166

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/एफ.1(21)आरपीएमएफ/15–16/33वीं बी.ओ.टी./ 146 दिनांकः 7 JAN 2016

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के
न्यासी बोर्ड की 33वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

1. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना की 33वीं न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 11–12–2015 को अपराह्न 03:00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के समिति कक्ष संख्या 1 में आयोजित की गई।

बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री मुकेश शर्मा, – सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
2. श्री पी. एस. मेहरा, – सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त
3. डॉ. आर. वैंकटेश्वरन, – सदस्य
पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर
4. श्री सिद्धार्थ महाजन, – सदस्य
विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट)
5. श्री भास्कर शर्मा, – सदस्य
निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
6. श्री एस. सी. देराश्री, – सदस्य
सेवानिवृत्त आई.ए.एस.
7. श्री भानूस्वरूप गोस्वामी, – सदस्य
(प्रतिनिधि) अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज, जयपुर
8. श्री के. के. गैडियोक, – सदस्य सचिव
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर

श्री वेद प्रकाश गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, श्री महेन्द्र सिंह भूकर, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम), श्री एन. एल. शर्मा, अति. निदेशक एवं अति. सचिव, आर.पी.एम.एफ. एवं श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव, आर.पी.एम.एफ. भी बैठक में उपस्थित थे।

2. सदस्य सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेण्डा के बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत किये गये जिन पर विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय/निर्देश प्रदान किये गयेः–

3. एजेण्डा आईटम संख्या 1

न्यासी बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 12–01–2015, 31वीं बैठक दिनांक 26–06–2015 एवं 32वीं बैठक दिनांक 05–08–2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

न्यासी बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 12–01–2015, 31वीं बैठक दिनांक 26–06–2015 एवं 32वीं बैठक दिनांक 05–08–2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

30वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 6 के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर्स समाज, जयपुर के पत्रांक रा.पे.स./के.का./एफ.45/1591–1603 दिनांक 20–04–2015 द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं यह स्पष्ट किया गया कि राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 के पैरा 10(बी)(1) के अनुसार राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों (Remote Area) में निवास करने वाले पेंशनर्स को रुपये 300/– प्रतिमाह स्थायी भत्ता बहिरंग उपचार के रूप में स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस बिन्दु के आधार पर राजस्थान में निवास करने वाले स्थायी भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को अन्तरंग रोगी के रूप में उपचार कराने पर नियमानुसार पुनर्भरण किये जाने का निर्णय लिया गया था।

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 के पैरा 10(A)(1) में राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के संबंध में निम्न प्रावधान है:–

10. Fixed Medical Allowance to Pensioner/Family Pensioner:

(A) For those drawing pension in other States -

(1) In case a pensioner/family pensioner is drawing his/her pension in other State, a fixed medical allowance @Rs.300/- per month shall be payable to him/her provided that he/she is not availing the medical facility under the Scheme.

अतः उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट है, जो पेंशनर्स (राजस्थान के बाहर) रूपये 300/- प्रतिमाह प्राप्त करता है उसे अन्य कोई सुविधा देय नहीं है तथा जो राज्य से बाहर पेंशन प्राप्त करने वाला पेंशनर्स 300/– रूपये प्रति माह नहीं लेता है, उसे RPMF के तहत सुविधा देय है, इसलिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि इस विषय पर स्पष्टीकरण जारी किया जाए।

4. एजेण्डा आईटम संख्या 2

एक्शन टेकन रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन।

न्यासी बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 12–01–2015, 31वीं बैठक दिनांक 26–06–2015 एवं 32वीं बैठक दिनांक 05–08–2015 में लिये गये निर्णयों/निर्देशों की क्रियान्विती का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।

5. एजेण्डा आईटम संख्या 3

न्यासी बोर्ड की उप समिति की 60वीं बैठक दिनांक 16–11–2015 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन।

न्यासी बोर्ड की उप समिति की 60वीं बैठक दिनांक 16–11–2015 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।

6. एजेण्डा आईटम संख्या 4

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014–15

न्यासी बोर्ड की वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।

7. एजेण्डा आईटम संख्या 5

पेंशनर श्री गिरीश चन्द सक्सैना, पीपीओ नं.194032(आर) के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के संबंध में।

प्रकरण में आपसी विचार–विमर्श के पश्चात् इस प्रकरण में शिथिलन देते हुये नियमानुसार/योजना के प्रावधानानुसार पुनर्भरण करने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्ति की दिनांक से आगामी 3 महिने में यदि पेंशनर द्वारा मेडिकल डायरी जारी करवा ली जाती है तो मेडिकल डायरी जारी करवाये जाने से पूर्व में लिये गये अन्तरंग उपचार का नियमानुसार/योजना के प्रावधानानुसार पुनर्भरण किया जावें।

168

8. एजेण्डा आईटम संख्या 6

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न दो प्रकरण जिनकी स्वीकृति उप समिति की 60वीं बैठक दिनांक 16–11–2015 के पश्चात् जारी की गई थी, उनमें न्यायालय के निर्णय की पालना में स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

1. माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. नं. 20537/2015 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम नीना ठक्कर में जारी स्वीकृति पत्रांक/प.6(443)आरपीएमएफ/2015/पार्ट/9520 दिनांक 08–12–2015 राशि रुपये 11,68,200/–
2. माननीय राज्य आयोग में दायर अपील संख्या 1525/2012 कोषाधिकारी, अजमेर बनाम श्री मनोहर सिंह में जारी स्वीकृति क्रमांक/एफ.6(291)आरपीएमएफ/ 2012/9614–18 दिनांक 10–12–2015 राशि रुपये 1,01,700/–

बैठक का आसन को धन्यवाद के साथ समापन किया गया।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

क्रमांक/एफ.1(21)आरपीएमएफ/15–16/33वीं बी.ओ.टी./147-160 दिनांकः 7 JAN 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
8 निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9 श्री एस. सी. देराश्री, सेवानिवृत्त आई.ए.एस., 90, गीजगढ़ विहार, हवासड़क, 22 गोदाम, जयपुर।
10 श्री राम किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज, 598–ए, आर.के. पुरम, कोटा।
11 श्री प्रेम शंकर सुमन, 178, सरस्वती पेराडाइज, विश्वेश्वरिया नगर विस्तार, प्रथमतल, यूनियन बैंक के पीछे, त्रिवेणी नगर, जयपुर।
12 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर